सर्वोच्च प्राथमिकता

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
E mail - gad5-section@cg.gov.in, Phone No. 0771-2503344

F.N. GENCOR-35/5507/2026-GAD-5 नवा रायपुर, दि.17-07-2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन।
अध्यक्ष, राजस्व मंडल छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़।

विषयः- दिनांक 15 अगस्त, 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन के संबंध में निर्देश।

--00--

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य शासन ने 15 अगस्त, 2026 ''स्वतंत्रता दिवस'' समारोह को प्रदेश में गरिमापूर्वक मनाने का निर्णय लिया है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना:- प्रदेश में सभी शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।

2. राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन:-

राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस का समारोह स्थानीय पुलिस परेड ग्राउण्ड में प्रातः 9.00 बजे से निर्धारित कार्यक्रम समयानुसार आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से निम्नानुसार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगेः-

(i) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण एवं परेड की सलामी का कार्यक्रमः- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस परेड ग्राउण्ड, रायपुर में ध्वजारोहण एवं परेड के कार्यक्रम विधिवत आयोजित होंगे। परेड में बी.एस.एफ, सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी., छ.ग.सशस्त्र बल (पुरूष), छ.ग.पुलिस बल (पुरूष), छ.ग. सशस्त्र बल (महिला), नगर सेना पुरूष, नगर सेना महिला, बैण्ड

प्लाटून तथा एन.सी.सी. बॉयज एवं गर्ल्स आदि की टुकड़ियॉ शामिल होंगी।

(ii) माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता के नाम संदेश:- माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ''जनता के नाम संदेश'' का वाचन किया जावेगा।

(iii) समारोह स्थल पर रंगीन गुब्बारे उड़ाना:- समारोह स्थल पर यथासमय रंगीन गुब्बारे उड़ाये जाएंगे।

<u>**3. जिला मुख्यालय स्तर पर समारोह का आयोजन:-**</u> जिला मुख्यालयों में शासन द्वारा विनिर्दिष्ट माननीय मंत्रीजी/महानुभाव द्वारा ध्वजारोहण किया जाकर परेड की सलामी ली जाएगी एवं "माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश" का वाचन किया जाएगा। विनिर्दिष्ट माननीय मंत्रीजी/महानुभाव के नाम की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को पृथक से भेजी जाएगी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल जिला मुख्यालयों में परेड आयोजित की जाएगी, जिला मुख्यालयों के अलावा अन्य किसी स्थान पर परेड आयोजित नहीं होगी। परेड में सेना (जहाँ उपलब्ध हो), पुलिस, एन.सी.सी., नगर सेना, जेल प्रहरी की टुकड़ियां भाग लेंगी। जिला स्तर पर स्कूली बच्चों के द्वारा देशभक्ति/संस्कृति से परिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। यह ध्यान रखा जाएगा कि समारोह में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम गरिमामय एवं रूचिपूर्ण हों।

<u>**4. जनपद पंचायत/तहसील स्तर पर समारोह का आयोजन:-**</u> जनपद पंचायत मुख्यालयों पर संबंधित जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया जाए एवं तत्पश्चात सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान (जन-गण-मन) के पूर्व राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम) का गायन किया जाए।

ऐसे नगर पालिका/नगर पंचायतें, जिनका मुख्यालय ब्लाक मुख्यालय पर नहीं है, उनमें अध्यक्ष, नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।

<u>**5. पंचायत मुख्यालय/बड़े ग्राम स्तर:-**</u> पंचायत मुख्यालयों में सरपंच द्वारा एवं बड़े गांवो में, गांवों के मुखिया द्वारा ध्वजारोहण किया जाकर, सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान (जन-गण-मन) के पूर्व राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम) का गायन किया जाए तथा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) का महत्व बताते हुये, उन्हें देश की एकता तथा अखण्डता के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाए।

<u>**6.**</u> स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 2026 की रात्रि में प्रदेश के सभी शासकीय/ सार्वजनिक भवनों/राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की जाए। उक्त पर होने वाला व्यय संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे।

<u>**7.**</u> जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर शासकीय संस्थाओं से उनके भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने एवं रात्रि में भवनों पर रोशनी करने की अपील की जाए।

<u>**8.**</u> राज्य एवं जिला स्तर पर ध्वजारोहण समारोह प्रातः 9.00 बजे से प्रारंभ किया जाए,

ताकि इसके पूर्व नागरिकगण देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का रेडियो/दूरदर्शन पर होने वाले प्रसारण को सुन/देख सकें।

9. विभाग/कार्यालय प्रमुख द्वारा उनके कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को एकत्रित कर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाए तथा ध्वजारोहण के पश्चात् सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान (जन-गण-मन) के पूर्व राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम)का गायन किया जाएगा।

10. सभी शिक्षण संस्थाओं में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किये जाए तथा सांस्कृतिक, साहित्यिक, मनोरंजन के कार्यक्रम, खेल-कूद, वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाए। शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपने क्षेत्र में प्रातः काल ‘‘प्रभात-फेरी‘‘ का आयोजन किया जाए तथा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन उपरांत पुरस्कार/प्रमाण पत्र/मैडल आदि के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

11. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में ध्वजारोहण के कार्यक्रम के आयोजन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

12. स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वनि-विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) का उपयोग की अनुमति जिला कलेक्टर द्वारा दी जाएगी। यह ध्यान रखा जाए कि ध्वनि-विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) पर बजाए जाने वाले गाने सुरूचिपूर्ण और सामयिक हो।

13. प्रदेश की राजधानी रायपुर एवं अन्य जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह चूंकि प्रातः 9:00 बजे से प्रारंभ होगा, इसे देखते हुये रायपुर एवं अन्य जिला मुख्यालयों में स्थित शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रातः 9:00 बजे के पूर्व सम्पन्न कर लिया जाए, ताकि उन कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारीगण जिले के मुख्य समारोह में भाग ले सकें।

14. विभिन्न समाचार पत्रों में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों को, स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की तस्वीरें एवं शहीदों, विशेषकर छत्तीसगढ़ के शहीदों के संबंध में संदेशों पर केन्द्रित किया जाए एवं विज्ञापन को इस प्रकार नियोजित किया जाए कि उनका प्रकाशन 15 अगस्त, 2026 को प्रदेश के समाचार पत्रों में हो जाए।

15. जिला कलेक्टर द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं नक्सली हिंसा में शहीदों के परिवारजनों को सम्मानपूर्वक जिला स्तरीय समारोह में आमंत्रित किया जाए।

(अंशिका ऋषि पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Digitally signed by
ANSHIKA PANDEY
Date: 17-07-2026
12:36:57

पृ.**F.N. GENCOR-35/5507/2026-GAD-5** नवा रायपुर, दि. 17-07-2026

प्रतिलिपि,

1. सचिव, मान. राज्यपाल, लोकभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मान. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)
7. सचिव, समस्त निगम/मंडल/आयोग/बोर्ड/प्राधिकरण, छत्तीसगढ़
8. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
9. उप सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. अवर सचिव, छ.ग.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्रीगण
12. नोडल अधिकारी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

हस्ता./-
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग